MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

जोन 05 क्षेत्रांतर्गत वार्ड 70 हुडको मं एसी एण्ड आई.सी पाईप का संधारण कार्य।

AS Per Electrical SOR 1.6.20 & ITEM RATE

S.NO	PARTICULAR	QTY	UNIT
	As Per SOR ITEM		
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. In all types of soils.	CUM	300
	As Per NON SOR ITEM		
2	Repairing of all types of pipe line leakage including excavation in all types of soil/concrete/tar road, labor, accessories, D-joint etc. and complete all		
	(C) A.C. Pipe –100 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	15
	b.Excavation in the Tar Raod	NOS	2
	c.Excavation in Concrete Road	NOS	1
	A.C. Pipe –150 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	15
	b.Excavation in the Tar Raod	NOS	2
	C.Excavation in Concrete Road	NOS	1
	A.C. Pipe –200 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	5
	b.Excavation in the Tar Raod	NOS	1
	C.Excavation in Concrete Road	NOS	1
3	Repairing of D.I. Pipe line with 1 Nos M.J. Coller rubber ring and excavation dewatering refilling etc. In case of failure of joint contractor repair again with out cost.		
	(A)100 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	40
	b.Excavation in the Tar Raod	NOS	1
	(B)150 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	15
	b.Excavation in the Tar Raod	NOS	1
	(C)200 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	40
	(D)250 mm diameter		

Scanned with OKEN Scanner

	a.Excavation in hard soil	NOS	5
	(E)300 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	1
4	Repairing of D.I. Pipe line with One meter pipe and 2 Nos M.J. Coller rubber ring i/c excavation dewatering refilling etc. In case of failure of joint contractor repair again with out cost.		
	(A)100 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	15
	(B)150 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	2
	(C)200 mm diameter		
	a.Excavation in hard soil	NOS	2
5	Labour for laying and fixing of following ductile iron sluice valves including jointing & testing but without cost of jointing materials.		
	80mm dia	Each	2
	100mm dia	Each	2
	150mm dia	Each	2
	200mm dia	Each	2
	250mm dia	Each	2
	300mm dia	Each	2
	SOR PHE 2020 AMMENDMENT NO 07/ 2022-23		
6	Providing, laying and jointing socket and spigot centrifugally cast ductile iron pressure pipes with inside cement mortar lining (class k7) ……….. With suitable rubber gasket (push on) joints as per IS.		
	100mm dia	RMT	150

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai(C.G.)

Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

कार्य का नाम :– जोन 05 क्षेत्रांतर्गत पाईप लाईन संधारण कार्य सामग्री सहित।

<u>नियम एवं शर्तेः–</u>

1. पाईप लाईन संधारण कार्य हेतु समस्त सामग्री एजेंसी के द्वारा स्वयं के व्यय से लगाई जाएगी। समाग्री का पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।
2. निगम के अधिकारियों/संबंधित कर्मचारियों द्वारा पाइप लाईन संधारण के संबंध में समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. संधारण कार्य की संधारण पंजी संधारित करना होगा। प्रभारी उपअभियंता से पृविष्टी एवं सहायक अभियंता से सत्यापित करना होगा एवं पंजी देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. पेयजल अत्यावश्यक व्यवस्था है, इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखना आवश्यक होगा, इसके लिये एजेंसी को समुचित संख्या के अतिरिक्त श्रमिक के रूप में रखना होगा, ताकि पेयजल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित न हो।
6. कार्य की अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि एवं मात्रा में वृद्धि की जा सकेगी उक्त अवधि मे अनुबंधित दरो एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी।
7. पाईप लाईन खराब होने की शिकायत पर संधारण 24 घंटे के समय अवधि में करना अनिवार्य होगा। शिकायत पंजी, निदान 1100, ऑनलाईन या अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संधारण कर कार्यालय को सूचित करना होगा। इस हेतु पंजी. का संधारण अनिवार्य होगा जिसमें विस्तृत विवरण हो। ऑनलाईन एवं निदान 1100 को प्रथम प्राथमिकता रहेगी। किसी भी संधारण कार्य के विलंब में रु. 1000.00 प्रति कार्य/प्रति दिवस दंड स्वरुप अधिरोपित की जावेगी।
8. किसी भी आकस्मिक घटना/दुर्घटना की संपूर्ण जवाबदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी। अतः सुरक्षा की समस्त जवाबदारी एजेंसी की होगी।
9. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत की राशि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

10. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से समस्त करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा। शासन से देय समस्त प्रकार की करों का भुगतान एजेंसी को करना होगा। जी.एस.टी. का भुगतान शासन के नियमानुसार किये जाने एजेंसी बाध्य होगी।

11. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।

12. कार्यस्थल पर गड्ढ़ा खुदाई कर छोड़ देने की स्थिति में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर अनुबंधित एजेंसी की जवाबदारी होगी। कार्य उपरांत रेस्टोरेशन कार्य करना अनिवार्य होगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

14. प्रत्येक संधारण कार्य का स्पष्ट फोटोग्राफ्स गूगल लोकेशन, टाइम स्टैंप सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. जोन के अंतर्गत शिकायत संख्या 05 से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त संधारण गैंग उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

16. किसी कारण से निर्धारित समय अवधि में कार्य किया जाना संभव नहीं है उस स्थिति में उक्ताषय का प्रमाण पत्र जोन के कार्यपालन अभियंता से देयक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

17. किसी भी प्रकार की त्रुटि का निरारण एवं संधारण कार्य में 07 दिवस से अधिक विलंब अथवा नियम शर्तो के उल्लघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

जोन आयुक्त **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**	**कार्यपालन अभियंता** **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**	**सहायक अभियंता** **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**	**उप अभियंता** **नगर पालिक निगम,** **भिलाई**

Scanned with OKEN Scanner